| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज |
|---|---|

मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा। सायला द्वारा म्यूटेशन अपील सक्षम न्यायालय में पेश की जा चुकी है, जिसमें उनके सफल होने की पूर्ण संभावना है। जबकि गै0सा0 सायला को पैतृक व पुश्तैनी सम्पति एवं कब्जे काश्त में दखलंदाजी करेंगे, जिस पर मौके पर वाद विवाद होगा व मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स बढेगी। तमाम परिस्थितियों, दस्तावेजात् एवं शपथपत्र के आधार पर सायला का मामला बखूबी मजबूत साबित है। इस प्रकार वकील मय सायला ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर मौजा–गरनिया, तहसील–जैतारण में स्थित उक्त विवादित भूमि में सायल के हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त उपयोग/उपभोग में बंटवाड़ा किये बिना दखलन्दांजी करने, बेचान, रहन अन्य हस्तानान्तरण आदि करने तथा राजस्वरेकर्ड की यथास्थिति (STATUS QUO) बनाये रखने हेतु गै0सा0 को पाबंन्द किये जाने की ईस्तदुआं की हैं। इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील सायला को सुना गया। बहस वकील सायला ने बाबत् अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में हस्ब प्रार्थना पत्र आज्ञा पारित किये जाने की ईश्तदुआं की हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा वकील सायला पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः आगामी तारीख पेशी तक गै0सा0 को विवादित आराजी की भूमि की वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति (STATUS QUO) आगामी तारीख पेशी तक जरिए अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा गै0 सा0 को रोका जाना उचित समझते हैं।

अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बहक सायला विरुद्ध गै0 सा0 इस आशय की जारी की जाती हैं कि सरहद मौजा–गरनिया, तहसील–जैतारण में सायला की पैतृक व पुश्तैनी की कृषि भूमि की विवादित आराजी खसरा नम्बर 10 रकबा 82 बीघा किस्म चा0सो0 भूमि के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति (STATUS QUO) बनाये रखने बाबत् गै0सा0 को आगामी तारीख पेशी तक रोका जाकर पाबन्द किया जाता हैं। वकील सायलान तलबाना एवं नोटिसेज तीन दिवस में पेश करें। तलबाना पेश होने पर गै0सा0 को नोटिसेज हो कि वह वजह जाहिर करें कि क्यों नहीं उक्त आदेश को वाद निर्णय तक पुख्ता किया जावें। पत्रावली आयन्दा दिनांक 05/01/2015 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला पाली)

05-01-15 वकील सायलान उपस्थित। गै0सा0 की आरिमर्ज तामील रिपोर्ट का इन्तजार रहेगा। संलग्न पत्रावली की जावे। पत्रावली आयन्दा दिनांक 16-03-2015 को पेश हो।

16/03/15 [illegible] 05-05-15 को पेश हो।

23/4/15 राज्य सरकार/जिला कलक्टर महोदय, पाली के आदेशानुसार आयोजित राजस्व लोक अदालत [illegible] कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मुख्यालय गरनिया पर अटल सेवा केन्द्र पर दि० 21/05/15 को पेश हो।

21-05-15 वकील मय सायलान उपस्थित। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र – गरनिया में पेश हुई।

Scanned by CamScanner

| हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हु |
| --- | --- |
| वकील मय स्वालेहान को उक्त कथन स्वीकार किया जाना तहसीलदार जौनपुर का उस रिपोर्ट के साथ प्रतिवेदित किया गया है कि मूल क्रम में जा०सं० 511 दि० 11-06-96 भरा गया जिसे खारिज किया जा चुका है, सूचना के विभिन्न वरिष्ठों की ओर सिरे से जाँच करके निम्नप्रकार लाभान्वित कार्य अग्रजान के आदेश किए जा चुके हैं जिसमें उक्त प्रा०पत्र में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रभावहीन (Infructuous) हो जाने से खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील ... दाखिल दफ्तर हो। ... जमा हो। <br> ह० <br> 5/6/0. | |